

4/5/2008 पत्तावली) पत्रावली नुसार 300 कदम मकान की  
 गणी पत्तावली वाले आदेश हेतु दिनांक  
 21/5/2008 के पत्रावली

5/5/2008 पत्तावली) पत्रावली नुसार 300 की मकान की दिनांक  
 21/5/2008 के पत्रावली वाले आदेश हेतु दिनांक  
 21/5/2008 के पत्रावली

9/5/2008 पत्तावली पत्रावली) वकुलाप उपस्थित) वदल हेतु  
 दौरान जारी वकील ने जारी पत्र में अंकित तथ्या  
 को दोहराया तथा कथन किया कि क्रॉसवेक सन्  
 1971 के आदेश नुसार की जाणी की भूमि पर कदम का 200  
 है तथा क्रॉसवेक सन् 1 लगापत्र 7 सन् 1971 के  
 आदेश नुसार की जाणी की भूमि पर कदम का 200 है।  
 उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड शामिल होने के  
 कारण क्रॉसवेक उक्त भूमि को बेचना के क्रॉसवेक  
 के क्रॉसवेक सन् 1971 के आदेश नुसार क्रॉसवेक का  
 जारी पत्र स्वीकार के क्रॉसवेक का परिधि  
 क्रॉसवेक निषेधाज्ञा के पत्रावली फांसापत्रावली  
 क्रॉसवेक वकील ने पत्रावली जारी पत्र पत्रावली के  
 निवेदन किया कि क्रॉसवेक व क्रॉसवेक का जारी पत्र  
 पत्रावली जारी भूमि का राजस्व रिकार्ड शामिल हो  
 क्रॉसवेक रिकार्ड जोतेदा का 200 का है। एक  
 लक्ष का 200 का है। क्रॉसवेक निषेधाज्ञा  
 के पत्रावली फांसापत्रावली का क्रॉसवेक नहीं है। क्रॉसवेक  
 का जारी पत्र (जारी फांसापत्रावली) पत्रावली का  
 ध्यानपूर्वक क्रॉसवेक किया गया एवं वदल पत्रावली  
 किया गया। जारी पत्र के जारी भूमि में जारी व  
 क्रॉसवेक रिकार्ड जोतेदा का 200 का है। उक्त  
 भूमि का जोतेदा शामिल हो रिकार्ड जोतेदा का 200 का  
 के विना क्रॉसवेक निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित



उपस्थित अधिकारी  
 उदयपुरवादी (सुपरी)

आदेश

कार्यवाही विवरण

अनु  
क्रमांक

व न्यायोचित उद्देश नहीं होता है। इस प्रकार  
का प्रार्थन पत्र लखित नहीं होता है। खरीज किया  
जाता उचित है।

आदेश

प्रार्थन का प्रार्थन पत्र लखित नहीं होता है। खरीज  
किया जाता है। पत्तावली फेंकल हुआ धर्म नम्बर  
के क्रम है तथा दस्तावेज प्राप्त है।

उपस्थित काशी  
उदयपुरवाटी (सुन्दरी)